

संसद सदस्यों का नलिंबन

प्रलिम्स के लिये:

[संसद सदस्य \(सांसद\)](#), [लोकसभा अध्यक्ष](#), [राज्यसभा के सभापति](#), [प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम](#), [नियम 374A](#), नियम 255, नियम 256

मेन्स के लिये:

लोकतंत्र के कामकाज पर संसद सदस्यों के बार-बार नलिंबन के परिणाम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 146 [संसद सदस्यों \(सांसद\)](#) को नलिंबित कर दिया गया है।

- संसद में हाल ही में सुरक्षा उल्लंघन के वरिध में संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के कारण दोनों सदनों के सांसदों को नलिंबन का सामना करना पड़ा।

सांसद संसद को बाधति क्यों करते हैं?

- राजनेताओं और पीठासीन अधिकारियों द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार व्यवधान उत्पन्न करने वाले चार मुख्य कारण हैं:
 - सांसदों के पास महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिये पर्याप्त समय नहीं है।
 - सरकार में जवाबदेही की कमी।
 - राजनीतिक या प्रचार कारणों से पार्टियाँ जानबूझकर अशांति उत्पन्न करती हैं।
 - संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले सांसदों के वरिध तत्काल कार्रवाई करने में वफिलता।

संसद के किसी मंत्री को कौन नलिंबित कर सकता है?

- सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी अर्थात् [लोकसभा अध्यक्ष](#) और [राज्यसभा के सभापति](#) की भूमिका तथा कर्तव्य है ताकि सदन का सुचारू रूप से संचालन हो सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो, [अध्यक्ष/सभापति](#) को किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिये बाध्य करने का अधिकार है।

वे कौन से नियम हैं जिनके तहत पीठासीन अधिकारी सांसदों को नलिंबित करते हैं?

- लोक सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम :
 - **नियम 373:** यदि अध्यक्ष को किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्थित लगता है तो वह उस सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है।
 - जनि सदस्यों को वापस लेने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दिनों की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेंगे।
 - **नियम 374:** अध्यक्ष ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है।
 - और नामित सदस्य को सत्र के शेष भाग से अधिक की अवधि के लिये सदन से नलिंबित कर दिया जाएगा।
 - इस नियम के तहत नलिंबित सदस्य को तुरंत सदन के परिसर से हट जाना होगा।
 - **नियम 374A:** नियम 374A को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था।
 - अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने पर गंभीर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में सदस्य को लगातार पाँच बैठकों या सत्र के शेष भाग, जो भी कम हो, के लिये सदन की सेवा से स्वचालित रूप से नलिंबित कर दिया जाता है।

■ राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम:

○ नियम 255:

- **राज्यसभा के सभापति** को नियम पुस्तिका के **नियम 255** के तहत यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यवस्थिति हो, तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं।

○ नियम 256:

- इस नियम के तहत **अध्यक्ष** "उस सदस्य का नाम बता सकता है जो **अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना** करता है या लगातार और **जानबूझकर कार्य** में बाधा डालकर परिसर के नियमों का **दुरुपयोग** करता है"।
- ऐसी स्थिति में सदन सदस्य को शेष सत्र से अधिक की अवधि के लिये सदन की सेवा से निलंबित करने का निर्णय ले सकता है।

सांसदों के निलंबन के क्या नुकसान हैं?

■ संसद में सांसदों का निलंबन एक कठोर कदम है जो सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखने के लिये उठाया जाता है **हालाँकि लोकतंत्र के कामकाज हेतु इसके कई नुकसान भी हैं, जैसे:**

- यह **निलंबित सांसदों को चुनने वाले लोगों की आवाज़ और प्रतिनिधित्व पर अंकुश लगाता** है। यह उन्हें जनहति के मुद्दे उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के उनके अधिकार से वंचित करता है।
- यह **कानून और नीति के महत्त्वपूर्ण मामलों पर बहस** एवं चर्चा के दायरे व गुणवत्ता को कम कर देता है।
- यह **संसदीय प्रक्रिया में एक रचनात्मक और ज़िम्मेदार भागीदार के रूप में वपिक्ष** की भूमिका को कमज़ोर करता है।
- यह **सत्तारूढ़ एवं वपिक्षी दलों के बीच विश्वास की कमी और शत्रुता उत्पन्न** करता है।
- यह **सहयोग और सर्वसम्मति निर्माण की भावना को नष्ट** करता है जो एक **स्वस्थ लोकतंत्र** के लिये आवश्यक है।
- यह एक अनुपयुक्त मसाले कायम करता है और बहुमत दल द्वारा **सत्ता के दुरुपयोग** को प्रोत्साहित करता है।
- यह **संसदीय लोकतंत्र के मानदंडों और परंपराओं का उल्लंघन** करता है तथा संसद की संस्था को कमज़ोर करता है।
- **निलंबन संघीय ढाँचे और देश की विविधता के लिये खतरा** है, क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों एवं पार्टियों के **सांसदों** को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करना कि **सरकार वपिक्ष की चिंताओं एवं मांगों का समय पर और सम्मानजनक तरीके से जवाब दे** तथा असहमति या **आलोचना** से बचने के लिये निलंबन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने से बचे।
- सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिये पीठासीन अधिकारियों की भूमिका तथा अधिकार को मज़बूत करना एवं संसदीय आचरण के नियमों व मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सांसदों पर कठोर दंड लगाना।
- प्रमुख मुद्दों पर **विभिन्न दलों तथा समूहों के बीच वार्ता एवं आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित करना** तथा वरिष्ठ अथवा दबाव के साधन के रूप में टकराव और व्यवधान से बचना।
- सांसदों की उनके **संवैधानिक कर्तव्यों तथा ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूकता** एवं जवाबदेही बढ़ाना एवं सदन की पवित्रता व गरिमा का सम्मान करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में नमिनलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)

1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता/करती है।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के छह माह के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा।
3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से (जतिनी जल्दी हो सके, इसकी पहली बैठक के बाद) किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

- जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा रक्ति को भरने के लिये किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि उसे नमिनलखिति तीन मामलों में से किसी एक में अपना पद छोड़ना होगा।
- यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। यदि वह उपसभापति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है; अतः कथन 3 सही है।
- यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव केवल 14 दिनि की अग्रमि सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसलिये विकल्प (b) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न. भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गनाइये जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों की भी जब यह नहीं किया जा सकता, और उसके कारण भी बताइये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/suspension-of-members-of-parliament>

